

(TM)

महावितरण

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित

(महाराष्ट्र शासन अंगीकृत)

CIN : U40109MH2005SGC153645

प्रकाशगड, ४था मजला, प्रा.अनंत काणेकर मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१ दूरध्वनी- २६४७४२११, २६४७२१३१

Website: www.mahadiscom.in, E-mail : www.msedclsalary@gmail.com

क्र. मासं / वेवदे / निवृत्ती वेतन (मध्यप्रदेश) /

No 07369

दिनांक :-

31 MAR 2017

परिपत्रक


मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड तथा तत्कालिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडळाने त्यांच्या निवृत्ती वेतन धारकांचे/कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचे, महागाई भत्ता (राहत) आदेश क्र.अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/८०९, दि.०८.०३.२०१७ आदेशानुसार सुधारीत केलेले आहेत.

वरील आदेशातील, पूर्वीच्या तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळातून निवृत्त झालेल्या व आता महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित मधून तत्कालिन मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडळाच्या निवृत्ती वेतन नियमांतर्गत निवृत्ती वेतन घेणा-या सर्व निवृत्ती / कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांना सुधारीत दराने महागाई राहत देणे आवश्यक आहे.

सबब, सांघिक कार्यालयासह सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांना अधिसूचित करण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत मध्य प्रदेश विद्युत मंडळाच्या पेन्शन योजनेअंतर्गत निवृत्ती वेतन / कुटुंब निवृत्ती वेतन घेणा-या सर्व निवृत्ती वेतन धारकांचे / कुटुंब निवृत्ती वेतन धारकांचे निवृत्ती वेतन, उपरोक्त आदेशाच्या अनुषंगाने सुधारीत करावे व त्यापोटी देय होणा-या निवृत्ती वेतनाची / कुटुंब निवृत्ती वेतनाची थकबाकी तातडीने प्रदान करण्याची कार्यवाही करावी.

सदर परिपत्रक महावितरण कंपनीच्या R-APDRP Portal वर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

सहपत्र :- वरील आदेशाची प्रत.


(संदेश हाके)

मुख्य महाव्यवस्थापक(मासं)



म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

CIN: U40109MP2001SGC014880

प्लॉक नं. 2, शक्ति भवन रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008. दूरभाष : (0761) 2702035, 3702041
फैक्स (0761) 2664450, e-mail: ce.ca@mptransco.nic.in, website: mptransco.nic.in

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ १०९

दिनांक 8 MAR 2017

आदेश

मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आदेश क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/2537 दिनांक 27.06.2016 के अनुसार सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों, जिसमें म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के साथ म.प्र. राज्य विद्युत मंडल से दिनांक 31.05.2005 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/परिवार पेंशनर भी शामिल हैं, का 125% की दर से महगाई राहत देय है। इस तारकाम में कंपनी द्वारा निर्णय लिया गया है कि उक्त समस्त पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिसम्बर 2016 से निम्नानुसार दर से महगाई राहत देय होगी। 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महगाई राहत देय होगी :-

अवधि जब से देय है	महगाई राहत की दर प्रतिमाह
दिनांक 01.12.2016	पेंशन/परिवार पेंशन का 132%

- इस आदेश के उपरान्त बढ़ी हुई महगाई राहत राशि का भुगतान माह मार्च 2017 की पेंशन के साथ नगद किया जावेगा एवं माह दिसम्बर 2016, जनवरी 2017 एवं फरवरी, 2017 की अवधि की अंतर राशि (एरियर्स) का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में मार्च 2017, अप्रैल 2017 एवं मई 2017 की देय पेंशन के साथ किया जावेगा।
- माह जुलाई 2016 से माह नवम्बर 2016 तक की अवधि की महगाई राहत की देय राशि का भुगतान राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक एफ 9-6/2016/नियम/चार दिनांक 01.03.2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में किया जावेगा, जिसके संबंध में पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।
- महगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा।
- पेंशन पर देय राहत की गणना मूल पेंशन अर्थात् सारांशिकरण के पूर्व (before commutation) की पेंशन पर होगी।

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/स्था/ 810


दिनांक 8/11/2017

प्रतिलिपि-

- 01 अवर सचिव, म.प्र. शारदा, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- 02 कार्यपालक निदेशक (एच.आर.एण्ड ए.) म.प्र.पाँवर जनरेशन कं.लि./म.प्र. पूर्व क्ष.वि.वि.कं.लि., जबलपुर।
- 03 कार्यपालक निदेशक (वित्त)/सी.आर.ए., म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 04 मुख्य अभियंता (टी.एण्ड सी.)/प्रोब्योरगेट/(मार्गोदरिण) (योजना एवं रूपरेखा)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संभारण एवं निरीक्षण)/(उप भार प्रेषण केंद्र), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 05 मुख्य अभियंता (कार्य), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 06 मुख्य अभियंता (ट्रांसमिशन-पूर्व क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-पश्चिम क्षेत्र)/(ट्रांसमिशन-मध्य क्षेत्र) म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/इंदौर/भोपाल।
- 07 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.) म.प्र.पाँवर मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर।
- 08 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.एण्ड ए.), म.प्र. मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., भोपाल/इंदौर।
- 09 अतिरिक्त मुख्य अभियंता(मा.स.वि.)/(आई.टी.)/(सिविल-ट्रांस)/(ओ.एण्ड एम.), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 10 अधीक्षण अभियंता (टी.एण्ड सी.)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संभारण)/400 क.व्ही. वोल्टेज पाँवर म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 11 संयुक्त निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 12 मुख्य महाप्रबंधक (एच.आर.), महाराष्ट्र राज्य विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, प्लॉट नं. सी-1, 'E' ब्लॉक, प्रकाशगंगा 7थी मंजिल, बांद्रा-कुला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(पूर्व), मुंबई -400051.
- 13 अति महाप्रबंधक (मा.स.), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी मर्यादित, रायपुर।
- 14 कार्यपालन अभियंता (परीक्षण)/(संभारण)/(अउदा-निर्माण)/(अउदा-संभारण)/(कमेशाला)/(400 क.व्ही. परीक्षण)/(उप भार प्रेषण केंद्र), रायपुर, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,
- 15 उप निदेशक (पेंशन एवं भविष्य निधि), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 16 कक्षाण अधिकारी अधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 17 निज सचिव संबद्ध प्रबंध निदेशक/निदेशक (ताकनीकी), म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर।
- 18 क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर।
- 19 वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारी/(के.ले.ई.)/म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड/म.प्र.पाँवर मैनेजमेंट/जनरेशन कं. लि.
- 20 वेद मास्टर।

टीप :- सरल क्रमांक 2, 7 एवं 8 के लिये।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालय समस्त वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखा अधिकारियों को उपरोक्त आदेश के क्रियाकर्मों हेतु कार्यवाही के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।



अधीक्षण अभियंता

कार्या.-मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स)

म.प्र.पा.ट्रां.कं.लि.,जबलपुर।